सं.एफ.13035-2/2012-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
राजभाषा प्रभाग
******

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 अगस्त, 2012

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभागीय वार्षिक पत्रिका 'शिक्षायण' का वितरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभागीय वार्षिक पत्रिका 'शिक्षायण' का चतुर्थ अंक आपको प्रेषित किया जा रहा है।

2. अपने बहुमूल्य सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है कि 'शिक्षायण' के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ शिक्षा संबंधी प्रेरक तथा सुरूचिपूर्ण लेख/संस्मरण/कहानियाँ आदि भिजवाएं।

(राकेश शर्मा)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 23388389
फैक्स: 23073273

सेवा में,

1. मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सभी संस्थानों/निकायों आदि के कुलपति/प्रमुख।
2. मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी अधिकारी/अनुभाग।

राजभाषा अधिकारी
अपराजिता ओझा
13-9-2012

1912
13-9-12

()

सं.एफ.13035-10/2012-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
राजभाषा प्रभाग
******

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक [illegible] अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना: वर्ष 2011

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 अगस्त, 2012 को जारी कार्यालय ज्ञापन की प्रति मंत्रालय के दोनों विभागों के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

(राकेश शर्मा)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 23388389
फैक्स: 23073273

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय, विश्वविद्यालय आदि।
2. गार्ड फाईल।

संख्या : 12011/02/2012-रा.भा.(का.-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक / 3 अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना : वर्ष 2011

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08 अगस्त, 2005 के संकल्प सं0 II/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) के तहत तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिंदी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी ।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं ।

3. पात्रता एवं शर्तें :

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा पर लिखी हो सकती है । उदाहरणार्थ :-

(i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि ।

(ii) समसामयिक विषय- जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि ।

(2) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं ।

(3) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

(4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पीएच.डी. के लिए लिखे गए शोध, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(5) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उससे पिछले तीन वर्षों में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी ।

(6) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(7) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(8) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

(9) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए ।

4. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	दो लाख रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	एक लाख पच्चीस हजार रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	पचहत्तर हजार रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
सांत्वना पुरस्कार (दस)	-	दस हजार रूपए प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को,

............2/-

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी ।

(iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हो ।

(iv) प्रविष्टियां 10 अक्तूबर, 2012 या इससे पूर्व तक डाक द्वारा राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए ।

(v) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया -

(i) पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर हिंदी के किसी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान की अध्यक्षता में सक्षम स्तर द्वारा गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा । मानदंडों का विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर है ।

(ii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले अपने विवेकानुसार संबंधित विषय के किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(iii) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति मे निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(iv) मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर सक्षम स्तर की स्वीकृति ली जाएगी ।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

8. सामान्य :

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(iii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भता दिया जाएगा ।

(iv) इस योजना के बारे में सूचना हमारी वैबसाइट http://rajbhasha.gov.in तथा **http://www.rajbhasha.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।

9. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

10. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस पुरस्कार योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं,स्वायत्त संस्थाओं, आदि में भी परिचालित कर दें ।

......3/-

11. प्रविष्टि भेजने का पता व सम्पर्क सूचना :-

उप निदेशक(कार्यान्वयन),
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001,

(जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली/सूचीबद्ध सभी विभाग-उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस योजना को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली.
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. डायरेक्टर ऑफ एकाउन्टस एण्ड सेंट्रल रेवन्यू, नई दिल्ली ।
7. निदेशक, जन-संपर्क(गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में समुचित सूचना प्रचालित करें ।
8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
9. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिन्दी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
10. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली. ।
11. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्,, एक्स.वाई.-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली.
12. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला मार्ग, नई दिल्ली ।
13. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/प्रभाग/अनुभाग/डैस्क ।
14. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का0 ज्ञा0 को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
15. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार 8) - उनसे अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें । कृपया जारी परिपत्र की प्रति राजभाषा विभाग को सूचनार्थ भेज दें।
16. महामंत्री, अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ, 139, पुरानी अनारकली, गली नं0 4, दिल्ली-110 051
17. सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र, दिल्ली नगर निगम, 10788-89 झंडेवालां रोड, नवी करीम, नई दिल्ली-110 055
18. पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग को विभाग की पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ।

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2011

1. पुस्तक का नाम ....
2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है ....
3. (i) लेखक/लेखकों का नाम...
(ii) पूरा पता(पिन कोड सहित)...
(iii) दूरभाष/फैक्स संख्या..
(iv) ई-मेल का पता ....
4. (i) प्रकाशक का नाम ....
(ii) प्रकाशक का पूरा पता...
(iii) मूल्य..
(iv) प्रकाशन का वर्ष...................... माह...
(v) कापीराइट किसके अधीन है...
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था ? यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें;
(क) किस वर्ष में भेजी गई...
(ख) किसे भेजी गई(पूरा पता)..
(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें...
6. क्या लेखक को राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें -
(i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का नाम...
(ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ...
(iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि...
(iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई...
(v) प्रकाशक का पूरा पता...
(vi) पुस्तक का मूल्य...
7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि
(i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
(ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम बचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे.

स्थान:..............................

दिनांक:....................... लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर...........................